The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

A Serious & Genuine Institute For UPSC & BPSC

DAILY CURRENT AFFAIRS
For UPSC/BPSC

DATE : 06-08-2024

NOTE : Collect FREE copy of Monthly Current Afairs Magazine From our Centre

+91-84349 31877, +91-72506 67974

www.achieversiaspatna.co.in

achieversiaspatna@gmail.com

Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001

हसीना ने इस्तीफा दिया, बांग्लादेश से भागीं, भारत पहुंचीं

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और नई दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर पहुंचने के बाद देश से भाग गईं। वह ब्रिटेन में शरण मांग रही हैं।

सोमवार को बांग्लादेश में क्या हुआ:

छात्र समूह: 'छात्रों के समूह ने भेदभाव के खिलाफ' सुश्री हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए 'ढाका मार्च' अभियान बुलाया है।

कर्फ्यू के आदेशों की अवहेलना करते हुए हजारों लोग ढाका के मुख्य स्थानों पर इकट्ठा होने लगे।

पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वे रुक नहीं सके।

स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे पुलिस ने सुश्री हसीना के आधिकारिक आवास के गेट तोड़ दिए और उसके परिसर में प्रवेश कर गई। सुश्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें एक Mi17 हेलीकॉप्टर से ले जाया गया जो अगरतला में उतरा। वह नई दिल्ली के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर उतरने के लिए C130 में सवार हुईं।

उन्होंने हिंडन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वायुसेना पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल पी.एम. सिन्हा से मुलाकात की।

ब्रिटेन में शरण के लिए मंजूरी का इंतजार करते हुए उनके एक या दो रात भारत में रहने की उम्मीद है। उनके साथ आई उनकी बहन रेहाना के पास पहले से ही ब्रिटेन का पासपोर्ट है।

सेना प्रमुख ने पदभार संभाला,

अंतरिम सरकार बनेगी ढाका में सेना प्रमुख वकर उज जमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फिलहाल सेना के हाथ में है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अशांति रोकने का आग्रह किया और उनकी मांगों को पूरा करने और मारे गए लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वह विपक्षी दलों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के साथ नहीं। अंतरिम सरकार बनेगी।

शेख हसीना के इस्तीफे का कारण क्या था?

1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के वंशजों के लिए 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध शुरू हुआ था।

पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को 'रजाकार' कहा, जो 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी सेना की मदद करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है।

विरोध हिंसक हो गया और 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इंटरनेट बंद कर दिया गया और सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई।

21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 30% कोटा खत्म कर दिया और इसे घटाकर 5% कर दिया।

इससे छात्रों का विरोध रुक गया। छात्रों ने प्रदर्शनकारियों की मौत और उनके खिलाफ उनके शब्दों के लिए पीएम शेख हसीना से माफी की मांग की। उन्होंने उनसे किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया।

29 जुलाई को छात्रों ने श्रीमती हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पों में 300 से अधिक लोग मारे गए।

शेख हसीना ने 4 अगस्त को अपने संबोधन में प्रदर्शनकारियों को 'आतंकवादी' बताया और कहा कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। 5 अगस्त को छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर उनके घर में घुस आए।

उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत आ गईं। जनवरी में हुए चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को कुल 300 सीटों में से 225 सीटें मिलीं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर यह सुश्री हसीना का लगातार चौथा कार्यकाल था।

अशांति के बीच हसीना के बांग्लादेश से भागने पर भारत चुप

सोमवार को विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की स्थिति या सुश्री हसीना के बारे में कोई बयान नहीं दिया।

शाम को, पीएम मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

रविवार को, विदेश मंत्रालय ने एक सलाह जारी की थी जिसमें भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की "दृढ़ता से सलाह" दी गई थी और देश में रहने वालों से घूमते समय "अत्यधिक सावधानी" बरतने के लिए कहा गया था।

भारत सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है।

बीएसएफ का कहना है कि सीमा पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी दिल्ली नगर निगम में 10 पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) का दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार एक वैधानिक कर्तव्य है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 17 मई, 2023 को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि एलजी की शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 (3) (बी) (1) से प्राप्त होती है।

10 विशेषज्ञ व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति निहित करने के लिए अधिनियम में 1993 में संशोधन किया गया था। आप सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को एलजी के हस्तक्षेप के बिना एमसीडी चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा, "यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है... कानून के तहत एलजी को शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।"

हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी अनुचित कारण या अवैध थी। केजरीवाल की याचिका में हाईकोर्ट से सीबीआई द्वारा उनकी सभी गिरफ्तारियों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।

सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि अप्रैल 2024 में पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद ही सीबीआई केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अपराध के तार पंजाब से भी जुड़े हैं, लेकिन गवाह ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकते हैं। दो गवाह सरकारी गवाह भी बन गए हैं।

77 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने को उचित ठहराएं: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को राज्य की अन्य पिछड़ा समुदाय (ओबीसी) सूची में 77 जातियों को शामिल करने को उचित ठहराने का "अवसर" दिया, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय की हैं।

22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनमें से कई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने को खारिज कर दिया था। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।

एससी ने राज्य से सर्वेक्षण की प्रकृति और उसके पास मौजूद सामग्री पेश करने को कहा, जिसके कारण राज्य ने इन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया।

याचिकाकर्ता एक निजी प्रतिवादी ने कहा था कि इनमें से 37 समुदायों के नामकरण के संबंध में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ सार्थक परामर्श किया गया था।

एससी/एसटी/ओबीसी सूची में किसी जाति को शामिल करने की प्रक्रिया – संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत, राज्य सरकार को एससी/एसटी/ओबीसी सूची में किसी समुदाय को शामिल करने का अधिकार है। इसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीएससी/एनसीएसटी/एनसीबीसी से मंजूरी की जरूरत है।

अनुच्छेद 370 को हटाना एक 'महत्वपूर्ण क्षण': मोदी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने की वर्षगांठ पर, पीएम मोदी ने इसे 'राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण' बताया, इससे केंद्र शासित प्रदेश में 'प्रगति का एक नया युग' शुरू हुआ।

मुद्रा ऋण पर एनपीए में कमी आई है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि मुद्रा ऋण के तहत गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) वित्त वर्ष 24 में घटकर 3.4% हो गई हैं, जो 2020-21 में 4.77% से उल्लेखनीय गिरावट है।

दुनिया :

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सोमवार को पश्चिम एशिया में तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें डर है कि गाजा युद्ध फैल सकता है।

ईरान ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह तेहरान में हमास नेता इस्माइल हैनी की हत्या के लिए उसे "इज़राइल को दंडित करने का कानूनी अधिकार है"।

इज़राइल ने हत्या पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बात का डर है कि ईरान हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर जवाबी हमला कर सकता है।

इज़राइल हिज़्बुल्लाह के साथ प्रतिदिन सीमा पार से गोलीबारी कर रहा है।

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि उसे सोमवार को इज़राइल से 80 अज्ञात फ़िलिस्तीनियों के शव मिले हैं।

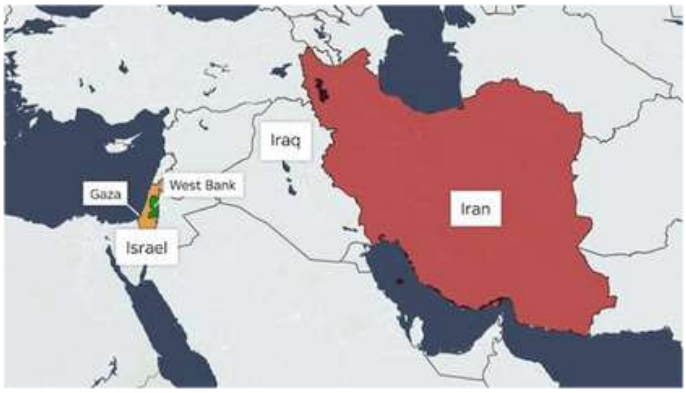

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले में UNRWA के नौ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं

संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए उसकी एजेंसी (UNRWA) के नौ कर्मचारी, "हमास द्वारा 7 अक्टूबर को दक्षिणी इज़राइल पर किए गए हमले में शामिल हो सकते हैं"।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, "हमारे पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त जानकारी है - यानी इन नौ व्यक्तियों की बर्खास्तगी।" इस साल की शुरुआत में इजरायल ने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले में यूएनआरडब्ल्यूए के लगभग 19 कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
यूएनआरडब्ल्यूए संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी है जो विशेष रूप से पश्चिम एशिया में मानवीय सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए काम करती है। यह गाजा में कई स्कूल और अस्पताल और सहायता सेवाएं चलाती है।

unrwa الاونروا united nations relief and works agency for palestine refugees in the near east

ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी खतरे के स्तर को 'संभावित' से 'संभावित' तक बढ़ाया है

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इजरायल हमास युद्ध के बाद युवाओं में बढ़ती कट्टरता और सामुदायिक तनाव के बारे में चिंता का हवाला देते हुए आतंकी खतरे के अलर्ट स्तर को "संभावित" से "संभावित" तक बढ़ा दिया है।